

12.12.23

12. 12.2023:—पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।

